कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 171/2026 **दिनांक- 04.05.2026**

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

• नाबालिग किशोरी अपहरण प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़िता सकुशल बरामद, अभियुक्त न्यायालय रवाना

दिनांक 06.01.2026 को वादिनी द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री लालगंज बाजार गई थी, जो वापस घर नहीं आई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-11/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.05.2026 को उ0नि0 सुभाष तिवारी, प्रभारी चौकी लालगंज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त फुरकान पुत्र कमरुद्दीन निवासी अहमदनगर गौरवा कानुनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 21 वर्ष को रेतवा चन्द्रभानपुर हाईवे से समय करीब 22:45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-11/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

फुरकान पुत्र कमरुद्दीन निवासी अहमदनगर गौरवा कानुनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी

पीड़िता सकुशल बरामद।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी, प्रभारी चौकी लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. प्रशि0आ0 कामरान अंसारी, चौकी लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

• अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई, 2.335 किग्रा गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

• चेकिंग अभियान में सफलता, तस्कर से नगदी बरामद कर भेजा गया न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विक्रय एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.05.2026 को चौकी प्रभारी गोसाईं की बाजार उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह एवं उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त राकेश राय उर्फ कल्लू पुत्र सत्येन्द्र राय निवासी ग्राम बालडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 40 वर्ष को बालडीह गांव के गेट के पास से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 2.335 किग्रा अवैध गांजा एवं 2140/- रुपये नगद बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-99/2026 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-99/2026 धारा 8/20 NDPS Act थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

राकेश राय उर्फ कल्लू पुत्र सत्येन्द्र राय निवासी ग्राम बालडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष।

बरामदगी

1. 2.335 किग्रा अवैध गांजा
2. ₹2140/- नगद

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-99/2026 धारा 8/20 NDPS Act थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-87/2024 धारा 8/20 NDPS Act थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप, चौकी प्रभारी गोसाईं की बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार यादव, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 विनोद कुमार, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

• शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

• त्वरित पुलिस कार्रवाई में आरोपी दबोचा गया, न्यायालय भेजा गया

दिनांक 29.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना सरायमीर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त अहमद पुत्र अख्तर निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-106/26 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04.05.2026 को उ0नि0 नीरज गौड़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अहमद पुत्र अख्तर निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को संजरपुर छाऊ मोड़ से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-106/26 धारा 69 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

अहमद पुत्र अख्तर निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

कोई विशेष बरामदगी नहीं।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 नीरज गौड़, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 संजीव कुमार यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

• नाबालिग किशोरी अपहरण प्रकरण में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

• पुलिस की तत्परता से आरोपी दबोचा गया, न्यायालय भेजा गया

दिनांक 03.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को पंकज यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम अमिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ जबरन भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-116/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04.05.2026 को उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पंकज यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी इमिलिया मौजा सकरकोला थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को असलाई प्राइमरी स्कूल के पास से समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-116/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

पंकज यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी इमिलिया मौजा सकरकोला थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी

— (कोई विशेष बरामदगी नहीं)

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 सीताराम यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. का0 सोनू यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, यातायात पुलिस जनपद आजमगढ़

दिनांक– 04.05.2026

• सड़क सुरक्षा हेतु विशेष अभियान, मॉडिफाइड साइलेन्सर व प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई

• 32 चालान, ₹15,000 जुर्माना व 02 वाहन सीज, 04 दुकानदारों को नोटिस जारी

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में जन एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 02.05.2026 से 03.05.2026 तक जनपद आजमगढ़ में "मॉडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हूटर, सायरन" के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान जनपद के समस्त थानों एवं यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, जिसमें मॉडिफाइड साइलेन्सर के 20 चालान कर ₹10,000 तथा प्रेशर हॉर्न के 12 चालान कर ₹5,000 का शमन शुल्क वसूल किया गया। इस प्रकार कुल 32 चालान कर ₹15,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा 02 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं सायरन की खरीद-बिक्री करने वाले 04 दुकानदारों को नोटिस जारी कर कड़ी हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रेस नोट, यातायात पुलिस जनपद आजमगढ़
दिनांक– 04.05.2026

• राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु यातायात पुलिस की बाइक रैली
• आमजन से अपील—09 मई को लोक अदालत में पहुंचकर करें वादों का त्वरित निस्तारण

दिनांक 09 मई 2026 (शनिवार) को जनपद न्यायालय आजमगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता एवं व्यापक जन-जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 04.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा विशेष प्रचार अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिसकर्मियों ने अपने दोपहिया वाहनों (बाइकों) के माध्यम से नगर के विभिन्न मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर बाइक रैली निकालकर आम जनमानस को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान लाउडस्पीकर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि दीवानी न्यायालय में आयोजित होने वाली लोक अदालत में लंबित शमनीय आपराधिक वाद, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), बैंक रिकवरी एवं विशेष रूप से यातायात चालानों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर कराया जा सकता है।

यातायात प्रभारी द्वारा आमजन से अपील की गई कि जिन वाहन स्वामियों के चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे दिनांक 09 मई 2026 को लोक अदालत में उपस्थित होकर नियमानुसार छूट का लाभ उठाते हुए अपने वादों का त्वरित निस्तारण कराएं। इससे समय की बचत के साथ-साथ अनावश्यक जुर्माने एवं कानूनी जटिलताओं से भी राहत प्राप्त होगी।

उक्त बाइक रैली गिरजाघर चौराहा, कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन्स, रैदोपुर तिराहा होते हुए शारदा तिराहा जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा आमजन से संवाद स्थापित कर उन्हें लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया।